पत्रांक–17 / स्था0–03–26 / 2025, 17356/ सा०प्र०

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
पुलिस महानिदेशक
सभी आयोग (बिहार लोक सेवा आयोग को छोड़कर)
सभी निदेशालय / सभी अभियंता प्रमुख / सभी मुख्य अभियंता
सभी प्राधिकार कार्यालय, बिहार ।

पटना–15, दिनांक-15/ 09 / 2025

विषयः– आगामी 06 से 12 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों / कर्मचारियों की सूची संलग्न प्रारूप में प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग– वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–703 दिनांक–29.08.2025 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–703 दिनांक–29.08.2025 में उल्लेख किया गया है कि उप महालेखाकार (पेंशन), बिहार, पटना द्वारा 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों / कर्मचारियों की सूची संलग्न प्रारूप में प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ताकि सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों / कर्मचारियों के पक्ष में ससमय सेवांत लाभों का प्राधिकार निर्गत किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के विभिन्न ग्रेड के पदाधिकारी विभिन्न विभागों / कार्यालयों में पदस्थापित / कार्यरत हैं।

बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 की कंडिका–5(2) में प्रावधान है कि सेवा के किसी भी ग्रेड के सदस्य उस विभाग / कार्यालय के परिचालानात्मक नियंत्रण में होंगे, जिसमें वे पदस्थापित होंगे एवं उनके सेवांत लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान उस विभाग / कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

अतः वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ बिहार सचिवालय सेवा के सभी ग्रेड के वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवानिवृत्ति 06 माह के अंदर होने वाली है, से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने एवं कृत कार्रवाई से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
15/09/2025
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

D:/Anish Document/Anumodan/Anumodan hetu prarup 2025.docx [128]

ज्ञापांक–17 / स्था0–03–26 / 2025, 17356 / सा०प्र०, पटना–15, दिनांक–15 / 09 / 2025

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/9/2025

सरकार के अवर सचिव।

E-MAIL

पत्र संख्या-वि0(27) पे0को0-67/2024-703(पे0)(अनु0)/वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार,
संयुक्त आयुक्त(वि0प्र0) ।

पटना,दिनांक - 29/08/2025

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

विषय :- आगामी 06 से 12 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न प्रारूप में प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- महालेखाकार(ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक-Pen-01/2025-26/Comp.No.383478/64 दिनांक 02.07.2025

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि उप महालेखाकार(पेंशन), बिहार, पटना द्वारा 06(छः) माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न प्रारूप में प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ताकि सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में ससमय सेवान्त लाभों का प्राधिकार निर्गत किया जा सके ।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

28.8.25

(विनय कुमार)
संयुक्त आयुक्त ।

27.8.25

बिहार सरकार
अपर मुख्य सचिव कोषांग
सामान्य प्रशासन विभाग
ई-मेल संख्या- 30370
दिनांक 29.8.25

A.S.(S)

अपर मुख्य सचिव ★ 01 SEP 2025 ★ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

965/S.O.-5
1/9/25

S.O.-OSD
03/09/25

968/Sec. 17
8.9.25

प्र0- 01, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 17 एवं 21

श्री ...
उ0अनु0
04/9/25

Format of Database of State Government Employees

Sl. No.	Employee's Name	Designation/ Post	Group of post (A/B/C/D)	Date of Birth	Date of Joining in Govt. Service	Date of Superannuation/ Retirement	Whether in OPS/NPS/ UPS	GPF/PRAN No.	Mobile No.	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Note: If the information is not available with the AG office, the same may be called from the State Government and the database may be updated at regular interval.